

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग

सारण प्रमंडल छपरा

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 81 /09-10

(1) प्रस्तावना (परिचयात्मक)

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम:- जिला उद्योग केन्द्र, छपरा

(ख) प्रशासी विभाग का नाम:- उद्योग निर्देशक, बिहार पटना

(ग) नियंत्रण पदाधिकारी का नाम:- (i) श्री जे०आर०के०राव, उद्योग निर्देशक
दिनांक 1.4.02 से 26.2.03 तक

(ii) श्री रवि मितल, उद्योग निर्देशक दिनांक
27.2.03 से 31.3.03 तक

(घ) लेखा प्रभारी का नाम,

पदनाम अवधि सहित :- (1) श्री बी० के० सिंह, महाप्रबन्धक दिनांक - 01.
4.02 से 31.3.03 तक

(2) श्री नदीम फारुकी, लेखापाल दिनांक - 01.4.
02 से 31.3.03 तक

(3) श्री रामानुज शास्त्री, रोकड़पाल दिनांक - 01.
4.02 से 31.3.03 तक

(ङ) अंकेक्षित लेखा अवधि:- वर्ष 02-03 तक

(च) अंकेक्षण समाप्ति तिथि:- 30.5.08

(छ) अंकेक्षण में व्यतित कार्य दिवस :- 25 दिन औसतन

(ज) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी नाम, पदनाम:-

(i) श्री रवि भूषण प्रसाद सिन्हा, महाप्रबंधक

(ii) श्री बीरेन्द्र कुमार, अर्थअन्वेषक सह
प्रधान लिपिक

(iii) श्री लक्ष्मण पंडित, व्यवस्थापक सह
रोकड़पाल

(iv) श्री चन्द्र भूषण प्रसाद, विपत्र लिपिक

(झ) अंकेक्षकों का नाम एवं पदनाम:- (1) श्री सुदीश प्रसाद साहा, व0अं02

(2) श्री देवकान्त झा, व0अं02

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची:- इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट (क) पर द्रष्टव्य ।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र :- वित्त (अंकेक्षण) विभागीय, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3286 दिनांक-15-9-60 में निहित आदेशानुसार जिला उद्योग केन्द्र, छपरा के वित्तीय वर्ष 02-03 का अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया। पूर्व में किये गये अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः इसके अनुपालन की समीक्षा की आवश्यकता नहीं हुई।

लेखा वर्ष 02-03 की अवधि में कोषागार से निकासी राशि का सत्यापन जिला कोषागार, छपरा के जमा एवं भुगतान अनुसूची के साथ शत-प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया। अंकेक्षण क्रम के कुल 18 आपत्ति निर्गत की गई थी, किन्तु इनमें एक भी आपत्ति का अनुपालन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक नहीं किया गया।

(इ) वित्तीय समीक्षा:- (1) आवंटन एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 02-03 की आवंटन एवं व्यय विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य। जिसके अवलोकन से यह ज्ञात होगा कि जिला उद्योग केन्द्र, छपरा द्वारा उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के आवंटन के अन्तर्गत ही व्यय किया गया था एवं बचत राशि कार्यालय के विभिन्न पत्रांकों द्वारा प्रत्यार्पित कर दी गई थी।

(2) संवरण शेष:-

वित्तीय वर्ष 02-03 के प्रारम्भण और अंत में निम्नलिखित संवरण शेष पाये गये:-

दिनांक 1.4.02 को प्रा० शेष:- 6,08,562.02

दिनांक 31.3.03 को अंत शेष:- 5,05,776.92

अंत शेष का विस्तार एवं रोकड़ का विस्तार नहीं पाया गया।

(द) भौतिक सत्यापन:-

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय पत्रांक 503 दिनांक 29.1.76 के आलोक में अंकेक्षण प्रा० तिथि दिनांक 10.4.08 को रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन महाप्रबन्धक की उपस्थिति में कराया गया। दिनांक 10.4.08 को रोकड़ पुस्त में संवरण शेष के रूप में रू० 3,37,709.63 था। जो चार रोकड़ पुस्तों के संवरण शेष की राशि थी। संवरण शेष की भौतिक स्थिति के राशि बैंक में (बैंक के चालु खाता में) अभिश्रव एवं नगद के रूप में थी।

अंत शेष का विस्तार निम्न रूपेण अंकित किया हुआ पाया गया।

1. प्रधानमंत्री रो० यो०	2,26,226.50
2. औद्योगिक गणना	25,456.00

3. ग्रा0 कारीगर कार्यक्रम	59,890.76
4. खादी बोर्ड	165.00
5. ट्रांसफर फीस	315.77
6. सोनी प्लास्टिक	1250.00
7. स्थाई अग्रीम	100.00
8. कार्यालय व्यय विपत्र सं0 244/92-93	261.35
9. दूरभाष व्यय विपत्र सं0 148/98-99	1288.00
10. कार्यालय व्यय विपत्र सं0 131/98-99	1403.90
11. प्रकाशन व्यय विपत्र सं0 147/98-99	1644.00
12. कार्यालय व्यय विपत्र सं0 149/98-99	500.00
13. जीप गाड़ी व्यय विपत्र सं0 146/96-97	5174.00
14. कार्यालय व्यय विपत्र सं0 192/93-94	237.65
15. कार्यालय व्यय विपत्र सं0 192/93-94	2292.00
16. कार्यालय व्यय विपत्र सं0 189/92-93	581.00
17. वर्दी निही पात्र 160/00-01	233.00
18. कार्यालय व्यय 193/93-94	9.55
19. कार्यालय व्यय 194/93-94	10.15
20. मेला विपत्र सं0 198/93-94	868.00
21. दूरभाष विपत्र सं0 153/94-95	53.00
22. मेला विपत्र सं0 101/03-04	3225.00
23. मेला विपत्र सं0 87/04-05	4000.00
24. प्रकाशन विपत्र सं0 113/05-06	2375.00
25. मेला वर्ष 07-08 मेहेदार	<u>150.00</u>

योग-3,37,709.63

रोकड़ का विस्तार:-

1.एस0 वी0 आई0 खाता सं0 01000050138	2,94,424.53
2.बैंक से चेक	1250.00
3.रुद्र चेक सं0 840073/14.5.05	1576.00
4.रुद्र चेक सं0 840082/21.4.06	2375.00
5.उल्लेखांकित अभिश्रव	25,769.00
6.नगद	<u>12,315.10</u>
	<u>योग-337709.63</u>

(ट) स्वीकृत एवं कार्यरत बल:-

अंकेक्षण क्रम में इस कार्यालय के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की छानबीन की गई थी। जो निम्नलिखित है:-

क्रमांक	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1. महाप्रबन्धक	1	1
2. कार्यकारी महाप्रबंधक	3	1
3. परियोजना महाप्रबंधक	3	×
4. सहायक महाप्रबंधक	1	×
5. अर्थ अन्वेषक	2	2
6. प्रधान लिपिक	1	×
7. लेखापाल	1	×
8. रोकड़पाल	1	1
9. विपत्र लिपिक	1	1
10. अशुटंकक	5	4
11. टंकक	1	×
12. टेकर	1	×
13. जीप चालक	1	1

14. ट्रेजरी सरकार	1	×
15. आदेश पाल	3	2
16. झाड़ूकश	1	1
17. रात्रि प्रहरी	1	×
18. स्वागत सहायक	1	1
19. पत्राचार लिपिक	1	1

भाग - 1

(2) गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की राशि रू0 1,33,365.00

वसूली योग्य:- सेवा पुस्तों के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार वर्तमान अर्थ अन्वेषक ने उद्योग विभाग में अस्थायी संख्यिकी सहायक के पद पर जिनका वेतनमान 296-8-360-ई0बी0-10-400पर दिनांक 12.4.78 को अस्थायी नियुक्त हुए। इसकी प्रथम प्रोन्नति उद्योग निदेशक के पत्रांक 4770/16.3.83द्वारा अर्थ अन्वेषक के पद पर दी गई थी। जिसका वेतनमान 785-25-1135-ई0बी0-25-1210 था। परन्तु इसके पूर्व इन्हें दिनांक 1.12.79 से भूतलक्षी प्रभाव से इस पद के पैत्रिक पद वेतनमान 400-7-470-10-540 पर अपना प्रोन्नति प्राप्त हुआ। इस प्रकार दिनांक 1.12.79 को संख्यिकी सहायक पद के वेतनमान 304 के बदले इन्हें 400.00 प्राप्त हो गया था। यह प्रोन्नति मात्र 1वर्ष 7महीना 19दिन पर दिया गया था। इसमें प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार का पत्रांक संख्या (परिपत्र संख्या) 15488 दिनांक 19.8.75 का आंशिक संशोधन करते कालावधि 8वर्ष का भी ध्यान नहीं रखा गया। और भूतलक्षी प्रभाव से वेतन का निर्धारण वित्त नियमावली के नियम 74 के विरुद्ध है। भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति निर्धारण हेतु बिहार सरकार के पत्रांक-पी0ए0आर0-1033/68/14794 वि0 दिनांक-30.12.68 पत्रांक 3/एम0-2-5-8/83-2074 दिनांक4.4.85 पत्रांक 3/एम0-2-5-4/88-1082

दिनांक 30.12.88 तथा पत्रांक 3/एम-5-4-88/3814 दिनांक 21.7.92 में निलिंत आदेशों का उलंघन किया गया है। इसी प्रकार कालावधि से सम्बन्धित बिहार सरकार के पत्रांक 9277/20.5.71, 22204/21.12.71, 19108/12.10.72, 18303/8.12.72, 288/16.5.78, तथा 382/3.8.88 में निहित नियमों का उल्लन कर इन्हें अर्थअन्वेषक पद पर प्रोन्नति दी थी।

उपर्युक्त परिस्थिति में उद्योग निदेशक के पत्रांक 4770/16.3.83 को प्रभावहीन करते हुए श्री कुमार को संख्यकी सहायक पद पर रखना ही नियमानुकूल है तथा शेष इनके द्वारा प्राप्त वेतन यदि वसूली योग्य है।

इनके वेतन का वास्तविक विरूपण दिनांक 12.4.78 से दिनांक 31.5.08 तक निम्न प्रकार होना नियमानुकूल एवं सरकारी आदेशानुसार होगा। दिनांक 12.4.78 को नियुक्ति के समय इनका वेतन रु0 296.00 तथा जो इसके सम्बन्धित वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 31.3.81 में 312.00 होगा। दिनांक 1.4.81 को 312.00 मूलवेतन पर वेतन पुनरीक्षण के कारण दिनांक 1.4.81 को 835.00 रुपये देय होता है। इसके पुनरीक्षित वेतनमान 785-25-1135-ई0वी0-25-1210 पर इनका वेतन दिनांक 12.4.85 को 935.00 होगा।

पंचम वेतन पुनरीक्षण के इनका वेतन वेतनमान 1600-50-2300-60-2780 में दिनांक 1.1.86 को 1700.00 निर्धारित होगा। पुनः आगे उपर्युक्त वेतनमान के क्रमिक वेतन वृद्धि के साथ दिनांक 12.4.95 को 2200.00 इनका वेतन होगा।

इन्हें षष्ठम वेतन पुनरीक्षण वेतनमान 5000-150-8000 ही अनुमान्य था। इसमें इनकी वेतनमान 1.1.96 को 6800.00 निर्धारित होगा। पुनः पुनरीक्षित वेतनमान के क्रमिक वेतनवृद्धि के साथ दिनांक 8.8.99 को इनका वेतन 7400.00 होगा।

पुनः प्रथम ए0सी0पी0के वेतनमान 5500-175-9000 में दिनांक 9.8.99 को इनका वेतन 7600.00 होगा। इस वेतनमान के क्रमिक वेतनवृद्धि के साथ दिनांक 9.8.01 को इनका वेतन 7950.00 होगा।

श्री कुमार के सेवा दिनांक 12.4.02 को 24 वर्ष होने के कारण दिनांक 1.4.02 को द्विती ए0सी0पी0 के वेतनमान 6500-200-10500 में इनका वेतन रु0 8300.00 होगा। पुनः इन वेतनमान के क्रामिक वेतनवृद्धि के साथ इनका वेतन वृद्धि के साथ अप्रील 2008 को 9500.00 निर्धारित होगा।

उपरोक्त देय वेतन के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा दिनांक 12.4.78 से 31.5.08 तक प्राप्त वेतन की स्थिति निम्न प्रकार है:-

दिनांक 12.4.78 को	296.00
दिनांक 12.4.79 को	304.00
दिनांक 12.4.80 को	312.00

पुनः चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के कारण पुनरीक्षित वेतनमान संख्यिकी सहायक का 785-25-1135-ई0बी0-25-1210 में

दिनांक 1.04.81 को	835.00
दिनांक 12.4.81 को	860.00

पुनः अर्थअन्वेषक के पद पर दिए गए प्रोन्नति (उद्योग निदेशक के पत्रांक 4770/16.3.83 द्वारा) वेतनमान 785-25-1135-ई0बी0-25-1210 के बदले इसके पूर्व के वेतनमान् 400-13-470-13-540 में दिनांक 1.12.79 से इन्हें निम्न प्रकार दिया गया :-

दिनांक 1.12.79 को	400.00
दिनांक 1.12.80 को	413.00
दिनांक 1.12.81 को	413.00

पर वेतन पुनरीक्षण का पुनरीक्षित वेतनमान 785-25-1135-ई0बी0-25-1210 में

दिनांक 1.4.81 को	885.00
दिनांक 1.4.82 को	910.00

तथा इसी प्रकार क्रामिक वेतनवृद्धि के साथ दिनांक 1.12.85 को इन्हें रु0 985 का वेतन दिया गया।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग संकल्प सं03पी0आर0-01/86-2625 वि0(2) दिनांक 1.5.87 द्वारा इन्होंने वेतनमान 785-25-1135-ई0बी0-25-1210 के

वदले वेतनमान 880-35-1370 द0रो0-35-1510 में दिनांक 1.3.86 को रू0 985.00 का वेतन दिया गया।

इस आधार पर इन्हें दिनांक 1.12.89 को वेतनमान 880-35-1510 के वेतन के क्रामिक वेतन वृद्धि के साथ रू0 1125.00 का वेतन दिया गया।

पुनः पंचम वेतन पुनरीक्षण में वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान 1640-60-2600-75-2900 में दिनांक 1.1.86 को इनका वेतन रू0 1820.00 निर्धारित किया गया। तथा इस नये वेतनमान के क्रामिक वेतनवृद्धि के साथ दिनांक 1.12.95 तक इनका वेतन रू0 2420.00 हो गया।

पुनः षष्ठम वेतन पुनरीक्षण में वेतनमान 5500-175-9000 में दिनांक 1.1.96 को इनके वेतन का निर्धारण रू07425.00 किया गया। तथा इस पुनरीक्षित वेतनमान के क्रामिक वेतनवृद्धि के साथ इन्हें दिनांक 1.12.01 तक 8475.00 का वेतन दिया गया है।

फिर इनकी सेवा दिनांक 12.4.78 को प्रारंभिक मानते हुए दिनांक 12.4.08 को 24 वर्ष हो जाने के फलस्वरूप इनका द्वितीय ए0सी0पी0 वेतनमान 6500-200-10500 दिया गया। इस आधार पर इन्हें दिनांक 1.4.02 को रू0 8700.00 का वेतन प्राप्त हुआ। इस प्रकार वेतनमान 6500-200-10500 के वेतन में क्रामिक वेतन वृद्धि प्राप्त करते हुए दिनांक 31.5.08 को 9900.00 का वेतन प्राप्त हुआ।

इस प्रकार श्री कुमार को बिहार सरकार के आदेशों का प्रयोग गलत रूप में करके सिर्फ मूल वेतन के रूप में रू0 1,33,365.00 का ज्यादा भुगतान किया गया जो वसूलनीय है।

अतः सक्षम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि वेतनादि पर अधिक की गई भुगतान राशि रू0 1,33,365.00 को जबाबदेह व्यक्ति से वसूली कर कोषागार चालान द्वारा राजकोष में अविलम्ब जमा करा दिया जाय। तथा वर्तमान में इनके मुलवेतन 9900.00 को अविलम्ब 9500.00 करने का भी सुझाव दिया जाता है। वसूली का विस्तृत विवरण का प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' पर द्रष्टव्य है।

(3) अनियमित रूप से भुगतान की गई यात्रा भत्ता की राशि रू0 1308.

20 वसूली योग्य:- यात्रा भत्ता विपत्र सं0 150/02-03 द्वारा रू0 25000.00 की (कोषागार से) निकसी दिनांक 31.3.03 को की गई थी। इस विपत्र के कार्यालय प्रति की जाँच में पाया गया कि श्री रामनुज शास्त्री रोकड़पाल का यात्रा भत्ता विपत्र माह 13 नवम्बर 02 से 2 दिसम्बर 02 भी उपर्युक्त समेकित विपत्र में था। इस विपत्र का पारित राशि रू0 2500.00 का भुगतान दिनांक 31.3.03 को किया गया। उपर्युक्त यात्रा भत्ता विपत्र में लिखित यात्रा विवरणी से स्पष्ट हुआ कि श्री शास्त्री का प्रतिनियुक्ति 13.11.02 से 2.12.02 तक सोनपुर मेला में किया गया था। अतः इन्हें दिनांक 13.11.02 को सोनपुर जाने का सड़क भत्ता तथा वस भाड़ा देय है। पुनः 2.12.02 को मुख्यालय छपरा लौटने का बस भाड़ा तथा सड़क भत्ता देय है। परन्तु इनके द्वारा दिनांक 13.11.02 से 26.11.02 तथा 28.11.02 से 2.12.02 तक लगातार प्रत्येक दिन छपरा से सोनपुर आना जाना दिखाकर अनावश्यक रूप में रू0 1148.40 की राशि यात्रा भत्ता रूप में दावाकर भुगतान प्राप्त कर लिया गया। पुनः माह नवम्बर में दिनांक 31.11.02 नहीं होता है। फिर भी इस तिथि को छपरा से सोनपुर आने जाने एवं दैनिक भत्ता कुल रू0159.60 का भुगतान इसी विपत्र से प्राप्त किया गया जो पूर्णतः काल्पनिक है।

विपत्र में पारित किया गया सड़क भत्ता -	172.80
बस भाड़ा -	1080.00
दि031.11.02 का काल्पनिक यात्रा भत्ता-	159.80
	1412.60
दय सड़क भत्ता एवं वस भाड़ा	-104.40
	<u>1308.20</u>

कुल वसूली योग्य राशि-1308.20 पैसा।

अतः सम्बन्धित जबाबदेह व्यक्ति से रू 1308.20 की वसूलीकर कोषागार में चालान द्वारा जमा किया जाय। साथ ही अनुपालन से वित्त अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जाय।

(4) रू0 90.00 वसूली योग्य:-

यात्रा भत्ता विपत्र संख्या 150/02-03 के भुगतान की जाँच में पाया गया कि श्री राजेन्द्र ठाकुर, जीप चालक द्वारा यात्रा भत्ता विपत्र माह सितम्बर, अक्टूबर, एवं नवम्बर 01 में दिनांक 7.11.01 को छपरा से सोनपुर तथा वापसी को यात्रा हेतु रू0 90.00 दैनिक भत्ता को आश्रित कर दिनांक 31.3.03 को भुगतान प्राप्त किये है। इस विपत्र के जाँच में पाया गया कि दिनांक 4.11.01 से 7.11.01 तक श्री ठाकुर जिला समाहरणालय छपरा में प्रतिनियुक्त थे। इनसे प्रतिनियुक्ति की अवधि में लिये गये कार्य तथा इससे सम्बन्धित दिनांक 7.11.01 की यात्रा भत्ता का प्रतिहस्ताक्षर प्रतिनियुक्ति कार्यालय द्वारा किये जाने के पश्चात ही यात्रा भत्ता हो सकता था। परन्तु इनके यात्रा-भत्ता देय हो सकता था। परन्तु इनके यात्रा को सम्पुष्टि किया ही नहीं गया था। अतः दिनांक 7.11.01 की यात्रा अधिकारीक नहीं था, फलतः इस तिथि का कुल प्राप्त यात्रा भत्ता रू0 90.00 अदेय है।

अतः सक्षम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त अदेय यात्रा भत्ता की भुगतीत राशि रू0 90.00 को जबाब देह व्यक्ति से वसूलकर कोषागार चलान द्वारा राजकोष में जमा करा लिया जाए।

(5) प्रधान मंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत रू0 1,23,947.00 का व्यय

आपत्ति अन्तर्गत:- प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत व्ययों के जाँच में पाया गया कि इस शीर्ष के रोकड़ पंजी में दिनांक 31.3.02 के संवरण शेष की विवरणी से ज्ञात हुआ कि

(1) प्रशिक्षण मद में	3,11,967.50
(2) तथा आकस्मिकता मद में	<u>92,800.14</u>

संवरण शेष (02-03)-4,04,767.64 कानिधि

था।

विभागीय पत्रांक 03/50 प्र0रो0यो0 19/97 दिनांक 25.5.02 के अनुसार प्रशिक्षण मद की सम्पूर्ण राशि विभाग को वापस की जानी थी, परन्तु आदेश के विपरीत कार्यालय द्वारा मात्र रू0 1,50,000.00 चेक सं0 0/490/100-660242/10.8.02 द्वारा विभाग को भेजा गया, शेष राशि रू0 (3,11,967.50-1,50,000.00) रू0 1,61,967.50 को कार्यालय में ही

रखकर इसे खर्च किया जाता रहा है। वर्ष 02-03 में बिना (विभागीय) स्वीकृत्यादेश के प्रशिक्षण मद में बचाए गये राशि रू0 1,61,967.50 में से दिनांक 15.4.02 को रू0 2005.00 दिनांक 7.5.02 के रू0 270.00 दिनांक 26.8.02 को बिल को, पटना को कार्यालय के अभि0 सं0 1 से 14 तक में चेक सं0 660245/26.8.02 द्वारा रू0 1,10,250.00 दिनांक 5.12.02 को रू0 3942.00 दिनांक 20.12.02 को रू0 7480.00 का व्यय किया गया है। इस प्रकार बिना आवाटित निधि तथा सक्षम स्वीकृत्यादेश के प्रशिक्षण पर कुल रू01,23,947.00 का व्यय उपर्युक्त तिथियों को उपर्युक्त मद में की गई है। यह बिहार वित्त नियमावली के नियम 479 का उलंघन है। अतएव अनियमित रूप से व्यय की गई राशि रू0 1,23,947.00 का व्ययोत्तर स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर उपर्युक्त व्यय को नियमित करवा लिया जाय। यदि उक्त व्यय, नियमित नहीं हो सके तो सक्षम पदाधिकारी का ध्यान रू0 1,23,947.00 का विभागीय निदेशों का उल्लंघन कर व्यय करने हेतु जिम्मेवार व्यक्ति पर यथोचित कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है। की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तब तक रूपए 123947.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(6) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के रू0 10,655.00 का अभिश्रव तथा अन्य संदर्भित अभिलेख अंकेक्षण में अप्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत:- वर्ष 02-03 के अन्तर्गत प्र0रो0योजना के प्रशिक्षण तथा आकस्मिक व्ययों के जाँच में पाया गया आकस्मिक भुगतान रू0 28.8.02 की राशि का 10,655.00 नीचे दिये गये हैं जिसका विवरण निम्नवत है:-

1. आकस्मिक भुगतान 28.8.02 10,655.00 (i) भंडार तथा विवरण पंजी
- (ii) अभिश्रव
- (iii) खरीद हेतु स्वीकृत्यादेश

अतः सक्षम पदाधिकारी को सुझाव दिया जाता है कि उपर्युक्त राशि का व्यय वर्ष 02-03 के स्वीकृत्यादेश (सक्षम) तथा निधि के आवंटन के अनुसार हुआ

अथवा नहीं साथ ही उपर्युक्त वार्षिक विभागीय अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार व्यय की प्रक्रिया की गई अथवा नहीं इसकी विस्तृत जाँच करा ली जाय। यदि उपर्युक्त व्यय नियमानुकूल न हों तो कुल रु0 10,655.00 जबाबदेह व्यक्ति से वसूल कर कोषागार चलान द्वारा राजकोष में जमा करा लिया जाय।

(7) रूपये 66,943.12 की अव्यवहारित राशि अनावश्यक पड़ा रहना जमा

योग्य:- विभिन्न वित्तीय वर्षों में विभिन्न नियमों के द्वारा कोषागार से रु0 66,943.12 निकासी की गई थी जो काफी लम्बे समय से रोकड़ पुस्त से अंकेक्षण अवधि तक अव्यवहारित पड़ी हुई है। जिसका उपयोग यथा समय पर नहीं किया गया था जो बिहार कोषागार संहिता खंड-1 नियम 300 का उल्लंघन है। इन सारी राशियों को कोषागार में उचित शीर्ष में जमा करा दिया जाय ताकि सरकारी कोष का सही उपयोग हो सकें।

अतएव रु0 66,943.12 कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय। विवरणी परिशिष्टि 'ड' पर संलग्न है।

(8) रु0 25,769.00 का विचलन कर उलेखांकित अभिश्रव के रूप में

रखना अनियमित एवं आपत्ति अन्तर्गत:-जिला उद्योग केन्द्र, छपरा के उलेखांकित अभिश्रवों के जाँच क्रम में पाया गया कि रु0 25,769.00 उलेखांकित अभिश्रव पाया गया जो विभिन्न शीर्षों की आवंटित राशि का विचलन कर व्यय करने का परिणाम था। यह वित्तीय नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है। वित्तीय नियमों की अवहेलना कर विचलन की प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण दिनांक 10.4.08 के भौतिक सत्यापन तक उलेखांकित अभिश्रव रु0 25,769.00 हो गया था। इस उलेखांकित अभिश्रव रु0 25,769.00 की राशि के सामंजन हेतु यथाशीघ्र अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किया जाय एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगायी जाय। अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तबतक रूपये 25,769.00 को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

(9) रु0 17,000.00 का स्टाम्प लेखा का वितरण पंजी (व्यय पंजी)

अप्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत:- आकस्मिकता से सम्बन्धित अभिश्रवो की जाँच में पाया गया कि उप अभिश्रव सं0 71/02-03 द्वारा दिनांक 9.12.02 को रु0 5000.00 पोस्टल स्टाम्प तथा अभि0 सं0 15/02-03 एवं 16/02-03 द्वारा दिनांक 28.8.02 को क्रमशः रु0 4000.00 तथा 5000.00 कुल रु0 14000.00 का पोस्टल स्टाम्प खरीद प्रा0 रो0 यो0 के अन्तर्गत रोकड़ पंजी में दिखाया गया है। इसी प्रकार शीर्ष 2852 अन्तर्गत विपत्र सं0 99/02-03, अभिश्रव सं0 72 दिनांक 6.1.03 को रु0 3000.00का पोस्टल स्टाम्प में दिखाया गया है। अर्थात् कुल $14,000.00+3000.00=17,000.00$ का व्यय पोस्टल स्टाम्प पर वर्ष 02-03 में किया गया है।

उपरोक्त रु0 17000.00 को पोस्टल स्टाम्प श्री राजेन्द्र चौधरी स्टैनों द्वारा पारित दिखाया गया था, परन्तु इन पोस्टल स्टाम्प को प्रयोग का प्रमाण इससे संदर्भित कोई भी आदेश अथवा अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त स्थिति में रु0 17,000.00 को अपील अन्तर्गत रखा जाता है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पोस्टल स्टाम्प का उपयोग उसके क्रम के उद्देश्य में हुआ था। अन्यथा ऐसा नहीं पाए जाने पर जिम्मेवार व्यक्ति से राशि की वसुली कर कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

(10) रु0 5957.00 आकस्मिकता व्यय अन्तर्गत टेलीफोन मद का व्यय

आपत्ति अन्तर्गत:- आकस्मिकता व्यय के अन्तर्गत दूरभाष मद से सम्बन्धित अभिश्रव वर्ष 02-03 की जाँच में पाया गया कि विभिन्न अभिश्रवों के द्वारा दिनांक 11.3.03 को कुल रूपये 5957.00 को भारत दूर संचार निगम को टेलीफोन विपत्र के भुगतान दिखाया गया था। इन राशियों का निकासी विभिन्न विपत्रों द्वारा कोषागार से किया गया था जिसका विस्तृत विवरणी इन प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'च' पर द्रष्टव्य है।

कार्यालय रू0 5957.00 टेलीफोन कॉल का लेखा-जोखा कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं बताया गया। बिना हिसाब-किताब के कोई खर्च काल्पनिक भी हो सकता है। इस परिस्थिति में सरकारी राशि का व्यय वर्जित है साथ ही टेलीफोन बिल एवं भुगतान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप भुगतान की सम्पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः भविष्य में टेलीफोन कॉल रजिस्टर रखने और विल भुगतान रसीद अभिश्रव के साथ रखने का सुझाव दिया जाता है। तबतक रू0 5957.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(11) रू0 30,000.00 निविदा के अभाव में अनियमित भुगतान आपत्ति

अन्तर्गत:- अंकेक्षण क्रम में ज्ञात हुआ कि सोनपुर मेले में दिनांक 18.11.02 से 12.12.02 तक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाने हेतु सर्व श्री विशाल डेकोरेट्रर्स, सोनपुर से निम्नलिखित समान भाड़े पर लिया गया था, यथा पंडाल (वाटरपुफ), लोहा का कुर्सी, चौकी, खाट, दरी, टेबुल, कम्बल, तोसक, सफेदा, मसलन्द, कालीन, ट्यूबलाइट, बल्ब, भेपरलाइट, हैलोजन, झालर इत्यादि।

उक्त सामानों के लिए अभिश्रव सं0 1/02-03 और विपत्र सं0 75/02-03 के द्वारा निकासी की गई को विभिन्न तिथियों को नगद और चेक के द्वारा रू0 30,000.00 का भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्नबत है।

(1) दिनांक 21.11.02 को नगद	10,000.00
(2) दिनांक 11.12.02 को चेक 660256	12,000.00
(3) दिनांक 20.01.03 को चेक 660261	<u>8,000.00</u>

रूपया- 30,000.00 को

विशाल डेकोरेट्रर्स (पिन्दु सिंह), सोनपुर को भुगतान किया गया पाया गया।

उसके लिए पहले से विभिन्न फार्मा से कोई टेडर अथवा कोटेशन नहीं लिया गया था। नियमानुसार सोनपुर मेंले में औद्योगिक प्रदर्शनी लगाये जाने के पूर्व विभिन्न फार्मों से टेडर, कोटेशन लेना चाहिए था। ऐसा नहीं कर वित्तीय नियम का उल्लंघन किया गया भविष्य में इस प्रकार के ऋटियों की पुनरावृत्ति न की जाय।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सरकारी राशि का अपव्यय नहीं किया गया है। अपव्यय पाए जाने पर अनावश्यक व्यय की राशि की वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। तबतक रू0 30,000.00 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

भाग - ii

(12) औद्योगिक ऋण की बकाया राशि दिनांक 31.3.02 की सम्बन्धित

अभिलेख अप्रस्तुत :- औद्योगिक ऋण की वसूली से सम्बन्धित मनी रसीद के जाँच में पाया गया कि वर्ष 02-03 में मनी रासीद (ऋण वसूली) के रसीद सं0 444742 दिनांक 26.7.02 के द्वारा औद्योगिक ऋण की राशि 10,000.00 किया गया था। इस ऋण से सम्बन्धित अभिलेख, लेजर और माँग के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.02 तक बकाया औद्योगिक ऋण सम्बन्धी अभिलेखों, लेजर और अन्य अभिलेखों की माँग किया गया। इसके सम्बन्ध निर्गत आपत्ति का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। वसूल की ऋण राशि कोषागार चालान द्वारा कोषागार में जमा पाया गया।

अतः अंकेक्षण को बकाया औद्योगिक ऋण की वस्तुस्थिति की ध्यान बकाया औद्योगिक ऋण की वास्तविकता राशि एवं वसूली की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

(13) सामान्य रोकड़पुस्त का संधारण किया जाना:-

जिला उद्योग केन्द्र, छपरा का लेखा वष 02-03 में सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण नहीं किया गया था। जबकि इस कार्यालय में सामान्य रोकड़ पुस्त का संधारण किया जाना अति आवश्यक है। इस कार्यालय में निम्नलिखित शीर्ष में रोकड़ पुस्त अलग-अलग है। प्रत्येक रोकड़ संवरण शेष अलग-अलग है।

(1) जिला उद्योग केन्द्र, छपरा का रोकड़ पुस्त

(2) पी0एम0आर0वाई का रोकड़ पुस्त

(3) औद्योगिक गणना का रोकड़ पुस्त

(4) विशेष अंगीभूत योजना का रोकड़ पुस्त।

उपरोक्त रोकड़ पुस्त को देखते हुए सामान्य रोकड़ पुस्त संधारण करना अतिआवश्यक है। इसे यथाशीघ्र संधारण किया जाय।

(i) अंतशेष का भौतिक सत्यापन किया जाना:- बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 86(iv) के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदा0 के द्वारा रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के नगदी रोकड़ का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह में नियमित रूप से करना है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी रोकड़पुस्त में अंकित करना है। परन्तु वर्ष 02-03 का अवधि में उक्त प्रमाण का सर्वथा अभाव पाया गया। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि उक्त नियम का पालन नियमित रूप से किया जाय।

(ii) भंडार पंजी:-

बिहार वित्तीय नियमावली भाग-1के नियम 143 के अनुसार भंडार का भौतिक सत्यापन भंडार प्रभारी के अतिरिक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी के द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार निश्चित रूप से करना है। तथा इस आशय का प्रमाण - पत्र का भंडार पंजीयों में अंकित करना है। परन्तु वर्ष 02-03 की अवधि में भंडार पंजीयों में उक्त प्रमाण पत्र का सर्वथा अभाव पाया गया।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि उक्त निर्देशित नियम का पालन दृढ़ता से किया जाय।

मिलान एवं जाँच कर्ता का ह0

1.

2.

लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

परिशिष्ट (क)अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका 1(ट) से सम्बन्धितअंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की विवरणी :-

- (1) विपत्र पुस्त
- (2) समान्य रोकड़ पुस्त
- (3) पी0एम0आर0वाई0 रोकड़ पुस्त
- (4) सभी शीर्ष का वेतन भुगतान पंजी
- (5) आकस्मिकता पंजी
- (6) अभिश्रव की रक्षी संचिका डी0आई0सी0 एवं अन्य
- (7) अभिश्रव की रक्षी संचिका पी0एम0आर0वाई0
- (8) जीप का लाँग बुक ।
- (9) रेजिट्रान्स पंजी
- (10) अस्थायी सामग्रियों का भंडार पंजी
- (11) सर्विस स्टाम्प का भंडार पंजी
- (12) यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रतियाँ ।
- (13) यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
- (14) मानदेय से सम्बन्धित कोस रेकार्ड
- (15) उपस्थिति पंजी ।

- (16) सेवा पुस्त (i) लक्ष्मण पंडित व्यवस्थापक सह रोकड़पाल
(ii) श्री मुन्द्रिका प्रसाद अधिदर्शक
(iii) श्री गिरजा प्रसाद रात्रिप्रहरी सह चपरासी
(iv) श्री बीरेन्द्र कुमार, अर्थअन्वेषक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची:-

1. वर्ष 02-03 के पूर्व का बकाया औद्योगिक ऋण सम्बन्धित अभिलेख माँग एवं लेजर
2. निर्गत पंजी
3. सेवा पुस्त (i) श्री मति कुमारी शीला, उद्योग विस्तार पदाधिकारी
(ii) श्री कमलेश सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी
(iii) श्री प्रमोद कुमार तिवारी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी
(iv) श्री भुनीश्वर दास, कार्यपदाप्रबन्धक
(v) श्री सैयद अबुल फजल, अर्थ अन्वेषक
(vi) श्री विनोद कुमार गुप्ता, अर्थ अन्वेषक
(vii) मो० नदीम फारुकी, लेखापाल
(viii) श्री रामानुज शास्त्री, रोकड़पाल
(ix) श्री मणीनाथ मिश्र आशुटंकक
(x) श्री संजय कुमार, आशुटंकक

- (xi) श्री राजेन्द्र चौधरी आशुटंकक
- (xii) श्री बच्चन प्र० श्रीवास्तव आशुटंकक
- (xiii) श्री शशी रंजन कुमार आशुटंकक
- (xiv) श्री अशोक कुमार मेहता विपत्र लिपिक
- (xv) श्री मनीष कुमार आर्य, दूसरे
- (xvi) श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर, जीप चालक
- (xvii) श्री वीर प्रसाद , आदेशपाल
- .(xviii) श्री रणधीर कुमार, स्वागत सहायक

